

पुत्रक,

श्री अशोक गांगुली,
उप निदेशक,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
विद्या भवन 2 समूहाय भवन,
प्रोविन्स बिहार नई दिल्ली ।

विद्या 171 अनुभाग

मकान: दिनांक: 17 अगस्त, 1995

विषय:- गुणनामक विद्यालय स्कूल डिग्री वाराणसी को सीपुबीउसाओ नई दिल्ली में सम्बन्धित हेतु अनपेक्षित प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कल्पे का निदेश हुआ है कि गुणनामक ^{ईडिग्री} स्कूल डिग्री वाराणसी को सीपुबीउसाओ नई दिल्ली में सम्बन्धित प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपरित नहीं है :-

- 11) विद्यालय को प्रोविन्स कोटाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 12) विद्यालय को प्रबन्ध समिति में विद्या निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 13) विद्यालय में कम से कम एक प्रशिक्षित स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनके उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संवाचित विद्यालयों में विभिन्न जातियों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 14) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैतनिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की मान्यता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिफ कार डि इडिग्री स्कूल नहीं किनेट इन्वा मिलेडन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो प्रोविन्स परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 15) संस्था केवल स्वैच्छिततर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसूचित वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 16) कर्मचारियों की सेवा ज्यों बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त ज्ञानकीय उपकरण माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुसूचित सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

171 राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे तैरबा उनका पालन करेगी ।

181 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/बॉकजार्जों में रखा जायेगा ।

191 उक्त शर्तों/ में राज्य सरकार के पूर्वनिर्माण के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन वा परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सम्बन्धिता दिये जाने के पूर्व यह दृष्टिगत किया जाय कि विद्युत तब में वर्तमान में कार्यरत समस्त स्टाफ प्रतिशिक्षित तथा उर्ध्व है । केवल मानकानुस्य दिया जा रहा है तथा उक्त भुक्तान बैंड के माध्यम से दिया जा रहा है । विद्यालय में ईपीएसओ योजना समस्त कर्मचारियों के लिए लागू है ।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तैरबा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पता जाता है कि तैरबा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है उक्त पालन करने में किसी प्रकार की पुर्क वा शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा उदरत अन्यायित प्रमाण पत्र मापत से लिया जायेगा ।

भारतीय,

(अधीर गाँधी)
उप निधि ।

पुर्ण 111/15-7-1995 तदुद्दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुमार्च र्वे आवाकक लार्वाली हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- कर्कलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी ।
- 4- निरीक्षक, अंमत् भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- ✓ 5- प्रबन्धक, सुन्नायक ईशियात सिक्कुर, वाराणसी ।

आशा है,

Amars

(अधीर गाँधी)
उप निधि ।